सख्या:-71/2024/आई700716/001-319आ0-23-5002-002-56-2024
(कम्प्यूटर सं0-1831662)

प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 25 जुलाई, 2024**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-55 के पूंजीलेखा मद के अन्तर्गत जनपद झाँसी, कानपुर देहात, हरदोई व एटा के 04 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-8785/CE-BLD/INS/JHA/2024-25 दिनांक 16.05.2024, सं0-9157/CE-BLD/BUILD(Chalu)/KNP/2024-25, दिनांक 18.06.2024, सं0-9297/CE-BLD/BUILD(Chalu)/LKO/2024-25, दिनांक 28.06.2024 एवं सं0-9318/CE-BLD/PULDHOUS/ALI/2024-25, दिनांक 28.06.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-55 के पूंजीलेखा मद के अन्तर्गत जनपद झाँसी, कानपुर देहात, हरदोई व एटा के 04 कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष देयता में से **रू0 282.81 लाख(रू0 दो करोड़ बयासी लाख इक्यासी हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजना वार स्वीकृत धनराशि	अनुबन्ध आधारित बचत की धनराशि	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटित धनराशि	गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में समर्पित धनराशि	समर्पण के समायोजन के उपरान्त अद्यतन अवशेष (6-7+8)	क्षेत्र से मांग	मुख्यालय द्वारा आवंटन हेतु संस्तुत धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(धनराशि लाख रू0 में)											
1	36/2019/52आ0/23-5-19-50 (41)ईजी/2015, दि0 17.07.2019 एवं 07/2022/404आ0 /23-5-21-12 (भवन)/2020टीसी, दि0 09.02.2022 एवं 63/2022/001-148आ0-23-5-22-02(भवन)/ 2020, दि0 21.09.2022 एवं 105/2023/001-190आ0-23-5-23-50(41)ईजी/ 2015 दि0 02.06.2023	झांसी में वृत्तीय कार्यालय के नये भवन का निर्माण कार्य।	129.42	0.15	129.27	126.46	0.00	02.81	02.81	02.81	02.81
2	92/2020/1125/23-5-20-18(भवन)/ 2020टीसी, दिनांक 17.12.2020 एवं 111/2021/280आ0 /23-5-21-02 (भवन)/2020, दिनांक 05.10.2021 एवं 63/2022/001-148आ0-23 -5-22-02(भवन)/	कानपुर देहात के अन्तर्गत स्थित बारा में उपलब्ध भूमि पर लोक निर्माण विभाग के 03 खण्डों हेतु कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।	535.76	21.12	514.64	355.40	0.00	159.24	133.51	130.00	130.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

	2020, दिनांक 21.09.2022 एवं 109/2023/001-195आ0-23-5-23-03(भवन)/ 2021, दिनांक 12.06.2023 एवं 185/2023/आई423991/001-366आ0-23-5002-002-56-2023-03(भवन)/2021 दि0 08.11.2023 एवं 43/2024/आई 526573/001-201AA-23-5002-002-24-2024 दि0 21.03.2024										
3	64/2020/1038/23-5-20-12(भवन)/2020टीसी, दिनांक 09.10.2020 एवं 73/2021/171आ0/23-5-21-12 (भवन)/2020टीसी, दिनांक 22.07.2021 एवं 144/2023/आई366210/001-278आ0-23-5002-002-22-2023-12(भवन)/2020टीसी दि0 10.08.2023	हरदोई में निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, हरदोई (मु0-बिलग्राम) के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।	240.07	00.18	239.89	110.89	0.00	129.00	57.03	50.00	50.00
4	60/2021/40आ0(ए)/23-5-21-3(भवन)/2021, दिनांक 25.03.2021 एवं 29/2023/001-10आ0/23-5-23-03(भवन)/2021, दिनांक 15.02.2023 एवं 109/2023/001-195आ0/23-5-23-03(भवन)/2021, दिनांक 12.06.2023	जनपद एटा में प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 एटा के नये कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।	263.79	0.30	263.49	75.00	0.00	188.49	110.00	100.00	100.00
		योग :-						479.54	303.35	282.81	282.81

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दि0 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) विद्युत/यॉंत्रिक कार्यों हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि को मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा सम्बन्धित विद्युत/यॉंत्रिक खण्ड को ही आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 2,82,81,000(रूपये दो करोड़ बयासी लाख इक्यासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 4059010510603 विभिन्न जनपदों(नवसृजित जनपदों सहित) में कार्यालय भवनों का निर्माण(चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
शेषनाथ
विशेष सचिव।

<u>संख्याः-71/2024/आई700716/001-319आ0(1)-23-5-2024 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी, झाँसी, कानपुर देहात, हरदोई व एटा।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, झाँसी, कानपुर देहात, हरदोई व एटा।
10- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता, झांसी क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र , लखनऊ क्षेत्र व अलीगढ़ क्षेत्र, लो0नि0वि0।
12- अधीक्षण अभियन्ता, झांसी वृत्त, कानपुर वृत्त, उन्नाव वृत्त, अलीगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0।
13- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड(भवन), लो0नि0वि0, झांसी।
14- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड(भवन), लो0नि0वि0, कानपुर नगर।
15- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, हरदोई।
16- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, एटा।
17- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अभय प्रताप श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in